न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 144/2024(GCMS : 2024/208)

आईआईएफएल होम फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस : आईआईएफएल हाउस, सन इंफोटेक पार्क, रोड नं. 16वी, प्लॉट नं. बी–23, थाने इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, थाने–400604 व शाखा कार्यालय–विनायक हाईटस, चौथा फ्लोर, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर – 302021 जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजेन्द्र कुमार पराशर

बनाम

1. **Mr. Ramesh Kumar,** Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, District Sri Ganganagar-335804 Rajasthan
2. **Mrs. Shila Bai,** Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, District Sri Ganganagar-335804 Rajasthan
3. **Ashish Tayer Sarvice** (Through its Propritor/Managing Director/ Authorised Signatory) Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, Distt. Sri Ganganagar-335804, Rajasthan

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहंदीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण रमेश कुमार, शीला बाई एवं अशिष टायर सर्विस को ऋण सुविधा के रूप में 3,23,459/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.10.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 15.04.2024 को 3,55,100/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी शीला बाई द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The[illegible]ur, District Sriganganagar-335804, Rajasthan (adme[illegible] Sq. Ft. Build up Area 415.00 Sq. Ft. and Carpet [illegible]** का भौतिक कब्जा [illegible]क को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की [illegible]ना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण रमेश कुमार, शीला बाई एवं आशिष टायर सर्विस** को ऋण सुविधा के रूप में 3,23,459/–रूपये **(अखये रूपये तीन लाख तेईस हजार चार सौ उन्सठ मात्र) की स्वीकृति दिनांक 28.10.2022 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी शीला बाई ने अपनी अचल **सम्पत्ति Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, District Sriganganagar-335804, Rajasthan (admeasuring Land Area 1000 Sq. Ft. Build up Area 415.00 Sq. Ft. and Carpet Area 332.00 Sq. ft.),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधि[illegible] होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी शीला बाई की अचल सम्पत्ति Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, District Sriganganagar-335804, Rajasthan (admeasuring Land Area 1000 Sq. Ft. Build up Area 415.00 Sq. Ft. and Carpet Area 332.00 Sq. ft.), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.04.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.04.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.04.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **शीला बाई** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **शीला बाई द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति Plot No. 61, Situated in Chak 4 EE, The. Padampur, District Sriganganagar-335804, Rajasthan (admeasuring Land Area 1000 Sq. Ft. Build up Area 415.00 Sq. Ft. and Carpet Area 332.00 Sq. ft.), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested